भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1795

सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाना

1795. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बड़े उद्योग/समूह एफडीआई सुधारों के प्रमुख लाभार्थी हैं;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान भारत में निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और उन्होंने किस क्षेत्र में निवेश किया है तथा उनके भारतीय सहयोगियों के नाम क्या हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) में विदेशी कंपनियों द्वारा कितना निवेश किया गया;

(ङ) एसएमई क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) प्रौद्योगिकी को छोड़कर विदेशों से संसाधन और आदान लाए जाने की बनाम आंतरिक संशोधनों और आदानों का उपयोग करने हेतु विदेशी निवेश प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियम और शर्तें क्या हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क): सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए एक उदार और पारदर्शी नीति बनाई है, जिसमें ज्यादातर क्षेत्रों को स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। सरकार नियमित आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है समय-समय पर उसमें परिवर्तन करती है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि भारत एक आकर्षक और निवेश

अनुकूल स्थान बना रहे। सरकार का प्रयास और आशय यह है कि एक सक्षम और निवेश अनुकूल एफडीआई नीति बनाई जाए।

(ख): एफडीआई नीति एक ऐसी नीति है जो लघु और मध्यम उद्यमों सहित सभी स्तर के उद्योगों पर देश में समान रुप से लागू है।

(ग) और (घ): प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्राप्ति-वार ब्यौरा रखा जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह के आंकड़े जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी कंपनी का नाम, एमएसएमई सहित भारतीय कंपनी, देश, क्षेत्रगत गतिविधि, निवेश की राशि और प्रकार आदि शामिल है। ये आंकड़े बहुत अधिक मात्रा में हैं और विभाग की वेबसाइट (www.dipp.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

(ङ) और (च): भारत विश्व भर की सर्वाधिक उदारीकृत एफडीआई नीति वाले देशों में से एक है, जहां कई क्षेत्रों/गतिविधियों में स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 100% एफडीआई की अनुमति है। ऐसे कुछ ही क्षेत्र और गतिविधियां हैं जिनमें एफडीआई विनियमित है अर्थात जो सरकार के अनुमोदन के अधीन हैं, अधिकतम सीमा निर्धारित है या अन्य आवश्यक शर्तों के अधीन है। एफडीआई नीति समान रुप से एमएसएमई क्षेत्र पर लागू होती है। इसके अलावा, सरकार नियमित आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है और समय-समय पर उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन करती है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि भारत एक अत्यंत आकर्षक स्थान बना रहे और इसे निवेश के अनुकूल स्थान के रूप में देखा जाए। एक उदारीकृत एफडीआई नीति का अनुसरण किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेश आकर्षित करने, नए और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी देश में लाने के साथ समग्र उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।

इसके अलावा, सिंगल ब्राण्ड उत्पाद खुदरा व्यापार संबंधी मौजूदा एफडीआई नीति एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण रुप से योगदान देती है, इस प्रकार भारत से अधिक मात्रा में माल प्राप्त करने को बढ़ावा मिलता है जिससे वैश्विक डिजाइन, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन परिपाटियों उपलब्ध कराने के माध्यम से भारतीय एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है।

51% से अधिक विदेशी निवेश वाले प्रस्तावों के मामले में, सिंगल ब्राण्ड उत्पाद खुदरा व्यापार संबंधी एफडीआई नीति के अनुसार, सभी क्षेत्रों में, प्राप्त माल के मूल्य के 30% की प्राप्ति, भारत से और मुख्य रुप से एमएसएमई, ग्राम और कुटीर उद्योग, कारीगरों और शिल्पकारों से करनी होगी।

इसके अलावा, मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार संबंधी एफडीआई नीति प्रावधान करती है कि खरीदे गए विनिर्मित/संसाधित उत्पादों की प्राप्ति के मूल्य के कम से कम 30% मूल्य का उत्पाद ऐसे भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से प्राप्त करना होगा, जिनका संयंत्र और मशीनरी पर कुल निवेश 2.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक न हो।

*****